अपील सूचना अधिकार संख्या 149/2020 (GCMS 2020/00266) श्री हरपाल सिह सुधन पुत्र श्री महताब सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी चेम्बर नं. 5ए कचहरी परिसर, रायसिंहनगर <u>बनाम</u> प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (कलक्ट्रैट), श्रीगंगानगर

<u>25.10.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2020 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर पर प्रत्येक दिन के लिए शास्ति अधिरोपित करने एवं बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26.11.2020 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> प्रार्थी की नानी ज्ञान कौर पत्नी दलीप सिंह कौम खत्री सिख द्वारा दिनांक 18.04.1972 को प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली निर्णय दिनांक 07.06.1972 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर बाडग्रस्त भूमि ग्राम 3 एस.सी''ए'' [illegible] नमबर 5 के संदर्भ में ज्ञान कौर [illegible] 1. आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] 2. जवाब अप्रार्थीगण [illegible] निर्णय 4. फर्द अहकाम शुरु से अंत तक एवं 5. [illegible] समस्त पत्रावली तथा 6. मूल दावा पत्रावली संलग्न हो तो वाद की समस्त पत्रावली ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रिकार्ड शाखा/2020/324 दिनांक 01.12.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के तहत सूचना कुल 17 पृष्ठों की है। अतः उक्त सूचना कार्यालय समय में नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमर करवाकर प्राप्त कर सकते है।
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी
> जिला अभिलेखागार
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.12.2020 को दिया जा चुका है कि प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को** [illegible] एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible] हो।

यह आदेश [illegible] .10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:57 IST
Reason: SelfAttested